

रक्षा मंत्रालय
(संयुक्त सचिव (प्रशि.) एवं मुप्रअ कार्यालय)

विषय :- सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा नियमावली, 2001 के नियम 7(8) के अधीन कार्यरत स्थानापन्न अनुभाग अधिकारियों की नियुक्तियों का बढ़ाया जाना – संशोधन

इस अनुभाग के नोट सं.ए/47922/एस ओ 7(8)/2010/मुप्रअ/का-1/127 दिनांक 16 मार्च 2011 के संदर्भ में।

2. संदर्भित नोट में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं :-

| क्रम सं. | का संदर्भ ले | के स्थान पर | पढ़ें |
|----------|------------------------------------|--|-------------------------|
| (i) | पैरा 01 की तीसरी पंक्ति | दिनांक 01 जनवरी 2011 से 30 जून 2011 तक | दिनांक 30 जून 2011 तक |
| (ii) | संलग्न परिशिष्ट के क्रम संख्या 146 | कार्यालय – ई-इन-सी शाखा | कार्यालय – एमजीओ शाखा |
| (iii) | संलग्न परिशिष्ट के क्रम संख्या 190 | कार्यालय – वायु सेना मुख्यालय | कार्यालय – ई-इन-सी शाखा |

3. इसके अतिरिक्त अन्य कोई परिवर्तन नहीं है।

(निशी श्रीवास्तव)
व. प्रशा. अधि., कार्मिक-1
27 अप्रैल 2011

सभी सशस्त्र सेना मुख्यालयों/शाखाओं/अंतर सेवा संगठनों के समन्वय अनुभाग वासेमु/पीसी (पी एण्ड टी) नौ सेना मुख्यालय/प्रशा. (सिव)

प्रतिलिपि :-

सभी उप मुप्रअ संयुक्त सचिव (प्रशि.) एवं मुप्रअ के प्रधान निजी सचिव निदेशक (एच आर)/निदेशक (ई एण्ड ए) के निजी सचिव/सहायक मुप्रअ/समन्वय मुप्रअ/वाकामूरि प्रकोष्ठ मुप्रअ कार्यालय के सभी संबद्ध प्रशासन अनुभाग जेसीएम स्टाफ पक्ष के सभी सदस्य तथा सभी संबंधित एसोशियन्सस् तैनाती फोल्डर